संख्या-02/2026/।/1194972/2026/71-2002-001-1-2022

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-06-01-2026

विषयः- केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित संस्थान के नवीन परिसर में फेज-।। के अंतर्गत संस्थान में पी0जी0 पाठ्यक्रम के लिये शिक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित "Skills, Innovation and Simulation Centre" की स्थापना हेतु लगने वाले उपकरणों के क्रय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-941/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2025, दिनांक 08.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित संस्थान के नवीन परिसर में फेज-।। के अंतर्गत संस्थान में पी0जी0 कोर्स की 21 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 2520.00 लाख से संस्थान में "Skills, Innovation and Simulation Centre" की स्थापना हेतु लगने वाले उपकरणों के क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत पी0जी0 की 21 सीटों की वृद्धि फेज-।। के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 2520.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि रू0 605.00 लाख (रूपये छः करोड़ पॉच लाख मात्र) तथा उसके संगत राज्यांश के रूप में रू0 403.00 लाख (रूपये चार करोड़ तीन लाख मात्र) अर्थात कुल रू0 1008.00 लाख (रूपये दस करोड़ आठ लाख मात्र) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के एस0एन0ए0 खाते में शासनादेश संख्या-40/2025/।/919065/2025/001-71-2002-002-2-2025, दिनांक 27-03-2025 द्वारा अवमुक्त की गयी।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 2520.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने तथा शासनादेश संख्या-40/2025 /।/919065/2025/001-71-2002-002-2-2025, दिनांक 27-03-2025 द्वारा संस्थान के एस0एन0ए0 खाते में रखे जाने हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 1008.00 लाख (रूपये दस करोड़ आठ लाख मात्र) से संस्थान में "Skills, Innovation and Simulation Centre" की स्थापना हेतु लगने वाले उपकरणों की संलग्न सूची अनुमोदित करते हुए क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के संबंधित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली निदेशक, संस्थान की होगी।

2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, संस्थान को होगा।
3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियत्रंक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए।
6. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
7. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु का अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
8. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. शासनादेश संख्या-40/2025/।/919065/2025/001-71-2002-002-2-2025, दिनांक 27-03-2025 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. धनरशि को वित्त नियंत्रक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 6,05,00,000 (रुपये छह करोड़ पाँच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि (के.60-रा.40/के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 4,03,00,000 (रुपये चार करोड़ तीन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058927 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-02/2026/I/1194972/2026/71-2002-001-1-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-U.14017/31 /2016-ME-II Pt (2), दिनांक 21 सितम्बर 2022 के क्रम में सूचनार्थ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा-शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थाथन, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-02/2026/I/1194972/2026/71-2002-001-1-2022,

दिनांक 06.01.2026 का संलग्नक।

S.No	Simulator	Departments	Approx Cost
1	LAPROCOPIC Simulator	Gen Surgery, GI Surgery, Urology, Oncosurgery, Gynecology, CVTS	36580000
2	GI Endoscopy, ERCP, EUS, Broncho Simulator, Hyst & TURP Endo Simulator	Gen Surgery, GI Surgery, Pulmonary Medicine, OBG, Urology	48700000
3	Arthroscopy Simulator	Orthopedics	21240000
4	Endoscopic Urology & PCNL Simulator	Urology	20650000
5	Endovascular Interventions Training Simulator	Cardiology, Neurology, Intervention, Radiology, CVTS, Urology	41300000
6	Ultrasound Simulator For POCUS, Trauma & US Guided Interventions	Radiology OBG, Gen Medicine, Gen Surgery, All Clinical Depts	33040000
7	Robotics Simulator for clinical procedures training	All Surgical Depts	31860000
8	Simulator for Difficult Airway Management & Sonography Assessment in Trauma	Anaesthesiology, Emergency Medicine Gen Medicine, Gen Surgery	18880000
		Total-	**252250000**

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।